

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/नरेगा/एमआईएस/2014

जयपुर, दिनांक :

21 MAY 2014

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,  
समस्त राजस्थान।


विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिक की मस्टररोल प्रिन्ट के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिक की मस्टररोल नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से Generate की जाती है एवं मस्टररोल के मुख्य भाग जिसमें मस्टररोल का क्रमांक, कार्य का नाम एवं कोड, मस्टररोल के पखवाडे की तिथि के साथ श्रमिकों का विवरण एवं उनकी उपस्थिति हेतु कॉलम होते हैं तथा मस्टररोल के पृष्ठ भाग में मेट द्वारा ग्रुपवार कार्य की एन्ट्री किये जाने हेतु प्रपत्र तथा कुछ अन्य विवरण जो कि नियत हैं, रहते हैं एवं यह पार्ट सभी अकुशल मस्टररोल के लिए एक समान होता है।

चूंकि अकुशल मस्टररोल नरेगा सॉफ्ट से जारी की जाती है एवं अकुशल मस्टररोल के आगे एवं पीछे के पार्ट को एक साथ प्रिन्ट किया जाता है, इसके कारण अकुशल मस्टररोल प्रिन्ट करने में अत्यधिक समय लगता है। अकुशल श्रमिक मस्टररोल के पृष्ठ भाग पर अंकित विवरण एक जैसा होने के बावजूद भी प्रत्येक अकुशल मस्टररोल के साथ इसे प्रिन्ट करने के कारण नरेगा योजना की एम.आई.एस. के अन्य कार्यों में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः इस संबंध में यह निर्देश जारी किये जाते हैं कि अकुशल श्रमिक मस्टररोल के पृष्ठ भाग पर अंकित होने वाला विवरण पूर्व में ही हरे रंग के पेपर पर प्रिन्टिंग प्रैस से प्रिन्ट कराये जाकर इन पेपर पर नरेगा सॉफ्ट से अकुशल श्रमिक मस्टररोल का मूल भाग प्रिन्ट किया जावे ताकि अकुशल श्रमिक मस्टररोल को नरेगा सॉफ्ट से प्रिन्ट किये जाने वाले समय में बचत की जा सके एवं अन्य गतिविधियां सम्पादित की जा सके। प्रिन्टिंग प्रैस से प्रिन्ट कराने में समय लग सकता है, तब तक पृष्ठ भाग को फोटोकॉपी करायी जाकर काम में लिया जाना प्रारम्भ किया जावे। दिनांक 15 जून, 2014 से नरेगा सॉफ्ट में पृष्ठ भाग की एन्ट्री का पार्ट डिलिट करा दिया जायेगा।

भवदीय  
  
(नवीन जैन)  
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/जोधपुर/बाडमेर।
3. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस